बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

पू.उ.प्र.अं./40/एसएलबीसी/सितम्बर 2014/283 12.11.2014

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति(उ0 प्र0) के सभी सदस्यों को पत्र

महोदय,

विषय :- राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त जून 2014 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त जून 2014 को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 10.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,

(आर के अवस्थी)
उप महाप्रबन्धक
कृते संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, पूर्वी उ.प्र. अंचल, "बड़ौदा हाउस", वी–23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ –226010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Eastern U.P. Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
फोन/Phone:6677607 (GM), 6677609(Sectt.), 6677722(AGM), 6677721, 6677725 (Deptt.) फैक्स/Fax:0522-6677726, 6677732
ई-मेल/E-mail:slbc.up@bankofbaroda.co.in वेबसाइट/Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, (उ.प्र.) की जून' 2014 तिमाही की समीक्षा बैठक दिनांक 10.09.2014 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ सभागार" बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री देवाशीष पाण्डा, आई.ए.एस. , प्रमुख सचिव (कृषि), उ.प्र. शासन, श्री महेश कुमार गुप्ता आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (लघु उद्योग व निर्यात प्रोत्साहन) उ.प्र. शासन, मैडम सन्दीप कौर, आई.ए.एस., विशेष सचिव, ग्राम्य विकास, श्री वी.सी. श्रीवास्तव, आई.ए.एस., प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, श्री मनीष गुप्ता, निदेशक (सी.पी. एवं एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, श्रीमती सुप्रिया पटनायक, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ श्री के.के. गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न बैंको/ वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक में सहभागिता की। बैठक में भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न हैं।

बैठक के प्रारम्भ मे श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र) ने श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री देवाशीष पाण्डा, आई.ए.एस. , प्रमुख सचिव (कृषि), उ.प्र. शासन, श्री मनीष गुप्ता, निदेशक (सी.पी. एवं एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, श्रीमती सुप्रिया पटनायक, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ, श्री के.के. गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ व बैठक में पधारे अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुये निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर प्रकाश डाला :

1. प्रदेश में शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत -3000- नयी शाखाओं की स्थापना मद में बैंकों द्वारा अभी तक लगभग 76% उपलब्धि हासिल की गयी है। निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ.प्र. ने दिनांक 26.08.2014 को एक समीक्षा बैठक के दौरान ऐसै बैंक जिनका गैप बचा है, को 15.09.2014 तक ऐक्शन प्लान तैयार करने एवं दिनांक 31.12.2014 से पहले इस कार्य को पूरा करने हेतु निर्देशित किया है। यह शाखा विस्तार स्थानीय आवश्यकताओं व व्यवसायिक दृष्टिकोण को केन्द्रित करते हुए किया गया है। आप सहमत होंगे कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत शाखा विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है। प्रदेश में हमारी इस उपलब्धि को सराहा भी गया है।

2. वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत -2000- से कम आबादी वाले -76855- गांवों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु तैयार रोडमैप को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार Disaggregation Plan के रूप में -3- वर्षों में विभाजित कर, मार्च 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल आवंटित लक्ष्य -30515- के सापेक्ष -14782- गांवों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है जो आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष काफी कम है व आगामी अवधि में हमें और समग्र प्रयास करने होंगे। इस क्रम में भारत सरकार ने सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को "प्रधानमंत्री जन धन योजना" के रूप में 28.08.2014 से लागू किया है, जिसके अंतर्गत सभी परिवारों का कम से कम एक बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। इस कार्यक्रम का पूरा विवरण, एजेण्डा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

प्रसंगवश, इस योजनान्तर्गत सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो मे SSAs व Urban Wards Allocation का काम पूरा हो चुका है, तथा इन सभी में बैंकिंग सेवाऐ प्रदान करने का जो काम किया जा रहा है, उसे समयबद्ध सारिणी के अनुसार पूरा किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध मे उल्लेखनीय है कि गत 5 सितम्बर 2014 को संयुक्त सचिव, वित मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आगरा मे सम्पन्न बैंकर्स की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिये गये है तथा एस.एल.बी.सी. द्वारा इन निर्देशो से आपको सूचित किया गया है।

3. वार्षिक ऋण योजना 2014-15 के अंतर्गत प्रदेश में आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष 21.19% उपलब्धि हासिल की गयी है जो पिछले वर्ष की समान अवधि से बेहतर रही है।

   नोडल विभागों व बैंकर्स से अनुरोध है कि त्रैमासिक आधार पर लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संयुक्त प्रयास करें ताकि शत् प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किये जायें। जनपद स्तर पर भी DCC & DLRC बैठकों में वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार प्रारूपों के अनुसार की जाये, तभी यह एल.बी.एस. (LBS) पद्धति प्रभावी होगी।

4. बुनकर समुदाय हेतु भारत सरकार की विशेष योजनान्तर्गत बैंको द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे है। इसी क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु 25,000 WCC जारी करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसकी पूर्ति हेतु सभी स्तर पर प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है ताकि सभी पात्र बुनकरो को इस महत्वपूर्ण योजना का फायदा मिल सके ।

5. यहाँ मौजूद सभी बैंकर्स की ओर से मै पुनः प्रदेश सरकार द्वारा आरसेटीज संस्थानों हेतु भूमि आवंटन, कृषि ऋण मार्टगेज हेतु स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा 10 लाख तक बढ़ाने एवं सरफेसी. एक्ट के अन्तर्गत बैंको द्वारा फाइल मामलो में नियमानुसार तेजी से कार्यवाही करने सम्बन्धित निर्णयों हेतु शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।

अपने सम्बोधन के अंत में श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी सम्बन्धित विभागों, बैंको एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे प्रदेश के विकास हेतु किये जा रहे कार्यों एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित सुसंगत आंकड़ो का ससमय प्रेषण सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश की उपलब्धियों व राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा लागू योजनाओं की प्रगति को बेहतर रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला: -

वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रकाश डालते हुये उन्होने इसमे और सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। विभिन्न स्थानों एवं विभिन्न क्षेत्रों में वसूली भी इस समय एक बन्द प्रक्रिया के दौर में हैं। वित्तीय बाजार सुधार के दौर से गुजर रहा हैं यद्यपि वृद्धि में तुल्यन का रिस्क अभी भी परिलक्षित है। मुद्रा- स्फीति अपने निम्न स्तर पर हैं और इस समय अपने लक्ष्य से 2% नीचे हैं। यद्यपि, विशेषज्ञ, यू.एस. एवं यूरोपीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि को लेकर जिज्ञासु हैं।बहुत से बड़े विकासशील देश जिनमें BRICS भी शामिल हैं- उनमें विकास दर की वृद्धि पिछले कुछ वर्षो से कम हुई है और सकल वृद्धि दर वार्षिक 8% के औसत की तुलना मे 5.6% कम हुई है। यद्यपि वैश्विक परिदृश्य में

बेरोजगारी बढी है परंतु प्रथम तिमाही के परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि वर्तमान में इसमें गिरावट की सम्भावना हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में इसके आर्थिक विकास के निम्न मुख्य बिन्दुओ पर प्रकाश डाला: -

- वर्तमान में हमारा देश भारत विश्व में निवेश करने की दृष्टि से सबसे महतवपूर्ण स्थल बन गया है क्योकि यहाँ के विभिन्न क्षेत्रो में निवेश करने हेतु FDI के कारण द्वार खुल गये है।
- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत वैश्विक GDP (क्रम शक्ति समानतता) का 6.4% शेयर धारक है जो वर्तमान में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं।
- व्यापार एवं विदेश अनुभाग में वृद्धि परिलक्षित हो रही हैं क्योंकि प्रथम तिमाही में निर्यात दर की वृद्धि दुगुने अंको में हो गयी है।
- भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व जून 27, 2014 को समाप्त सप्ताह में बढ़ा है और विदेशी मुद्रा पूँजी US $ 288.81 मिलियन से बढकर US $ 851 मिलियन हो गयी हैं।
- सार यह हैं कि व्यापार एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भारत सरकार ने जों कदम उठाये है उससे देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और इससे वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर भी देश को बल मिलेगा।

शाखा विस्तार कार्यक्रम एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और इसके उप क्षेत्रो पर प्रकाश डालते हुये उन्होने इस पर विस्तृत चर्चा की। उन्होने यह बताया कि गत 15.01.2013 को तत्कालीन माननीय गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार -3000- नयी बैंक शाखाएँ खुलनी थी। दिनांक 31.07.2014 तक प्रदेश में कुल -2307- नयी शाखाएँ खुल चुकी थी। अभी इसमें और प्रयास की आवश्यकता हैं।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.01.2013 को सम्पन्न एस.एल.बी.सी. की विशेष बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार शाखा विस्तार कार्यक्रम की सघन समीक्षा शीर्ष स्तर पर माननीय मुख्य सचिव, उ.प्र.सरकार स्वयं कर रहे हैं। दिनांक 26.08.2014 को आयोजित उच्च सतरीय समीक्षा बैठक जिसका संयोजन विशेष सचिव और निदेशक, संस्थागत वित एवं सर्वहित निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था, के दौरान बैंको को यह निर्देशित किया गया कि वे शाखा विस्तार हेतु दिनांक 15.09.2014 तक कार्य योजना बना लें एवं दिनांक 31.12.2014 तक उसे अवश्य पूरा कर लें। उन्होने सभी सम्बन्धित बैंको से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध दोहराया। साथ ही हम यह भी बताना आवश्यक समझते है कि सरकार नें यह दिशा निर्देश दिया है कि खुलने वाली सभी बैंक शाखाएँ ए.टी.एम. के साथ खुले जिससे उस बैंक के लिए व्यवसाय का अच्छा अवसर मिलेगा।

जून'2014 को प्रदेश का ऋण जमा अनुपात 53.23% था जो मार्च'2014 के समग्र अनुपात से 0.61 % अधिक है। बैंकवार विश्लेषण से यह इंगित होता है कि कुछ बैंको के सीडी अनुपात मे अंतर हैं। सभी बैंक आने वाले समय में सी.डी.आर. में आवश्यक बढौतरी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास हैं। मै समझता हूँ कि एस.एल.बी.सी (उ.प्र.) द्वारा ऋण जमा अनुपात पर गठित उप- समिति उन अनछुए पहलूओं पर चर्चा कर कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे जहाँ व्यवसाय की सम्भावना हो, जिससे बैंक व राज्य सरकार वांछित परिणाम पाने के लिए एक जुट हो सकें।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों हेतु प्रदेश के कुल अग्रिम का 52.46% भाग सभी वाणिज्यिक बैंको जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं – द्वारा प्राप्त किया गया है। साथ ही कृषि एवं कमजोर वर्गों हेतु अग्रिम क्रमशः 26.07% एवं 18.00% है जो भारतीय रिजर्व बैंक के मानक स्तर 18% एवं 10% से बहुत ही अधिक हैं। बैंको द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयास सराहनीय है क्योंकि इस प्रदेश में पाये जाने वाले जीव, वनस्पतियाँ एवं भौगोलिक विस्तार का अलग महत्व व लाभ हैं।

केन्द्र सरकार की वितीय समावेशन योजनान्तर्गत 2000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले गाँवों के लिए "स्वाभिमान" योजना की सफलता के पश्चात, 2000 से कम जनसंख्या वाले गाँवों के लिए एक रोड़ मैप तैयार किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार ने वितीय समावेशन को विस्तृत रूप में मिशन मोड में लागू करने का दिशा निर्देश दिया हैं। इस योजना के तहत देश में सभी हाउस होल्डस का कम से कम -1- बैंक खाता प्रति परिवार हो जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करते हों और इसमें सभी एस.एस.ए. और वार्डस शामिल किये जायें ऐसे निर्देश हैं।

इस योजना "प्रधानमंत्री जन धन योजना" का शुभारम्भ दिनांक 28.08.2014 को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया था और पूरे देश में चरण बद्ध रूप से राष्ट्रीय एजेण्डे के रूप में वितीय समावेशन को प्रसारित किया जाना हैं। बैंकिंग बन्धुत्व के प्रतिवेदन एवं उत्तरदायित्व को देखते हुए योजना का प्रथम चरण दिनांक 26.01.2015 तक प्रभावी होगा और तदनुसार हम सब का एक महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। उन्होने आहवाहन किया कि इस राष्ट्रीय निमित पर हम सब मिलकर कुछ अधिक प्रयास करें जिससे निर्धारित समयावधि के अन्दर हम दिए हुए लक्ष्यों को पूरा कर लें।

प्रदेश में पी.एम.जे.डी.वाई. योजना के लागू करने की जहाँ तक बात है, प्रदेश में सभी बैंको ने मिल कर 28294 कैम्प आयोजित किये और लगभग रू. 34.65 लाख बैंक खाते इस मुहिम में खोले गये।

दिनांक 05.09.2014 को आगरा में सम्पन्न बैठक में श्री मो. मुस्तफा, संयुक्त सचिव, वित मंत्रालय, वितीय सेवायें विभाग, भारत सरकार ने पी.एम.जे.डी.वाई. लागू करने की योजना की, प्रदेश के -20- प्रमुख बैंको के साथ समीक्षा की और उस योजना से जुड़े अन्य पहलूओं को लागू करने हेतु दिशा निर्देश दिये है।

हम प्रदेश सरकार को इस योजना को विभिन्न स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करने के लिय धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यह संतोष का विषय है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में SLIC और DLICs का गठन कर लिया गया हैं। हम बैंको एवं एस.एल.बी.सी. को इसके लिए प्रेरित करेंगे कि इन समितियों की पूरे प्रदेश में एक बैठक आयोजित करें जिसमें इस योजना को लागू करने के सम्बन्ध में विस्तृत रूपरेखा तय की जाये।

हमें दृढ विश्वास हैं कि वितीय समावेशन हमारे लिए व्यवसाय वृद्धि का एक अवसर है न कि कोई बन्धन। अतः समय की आवश्यकता यह है कि हम अपना पूरा ध्यान इस योजना के प्रथम चरण को 25.01.2015 से पूर्व पूर्ण करने पर लगायें।

वार्षिक ऋण योजना (ACP) 2014-15 के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य रू. 114931.34 करोड़ के सापेक्ष प्रथम तिमाही में रू. 24349.08 करोड़ (21.19%) के स्तर की उपलब्धि पिछले वर्ष की तुलना में नि: सन्देह उत्साहवर्धक है (समग्र एवं प्रतिशत रूप में)। इस सम्बन्ध में बैंक के प्रत्येक यूनिट का सहयोग सराहनीय हैं किंतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी क्षेत्र के बैंको की भूमिका इस हेतु शत प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति में कुछ प्रयासहीन रही हैं।

हम यह बताना चाहेंगे कि एस.एल.बी.सी. ने लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित LBS MIS पद्धति के माध्यम से समेकित किया है (विभिन्न बैंको द्वारा उपलब्ध ऑनलाइन डाटा) और सभी DCC/DLRC की आगामी बैठकों में इसी प्रारूप पर समीक्षा की जायेगी।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के अंतर्गत समीक्षा अवधि के दौरान बैंको द्वारा लगभग 6.97 लाख KCC का नवीनीकरण हुआ हैं और दूसरे 2.22 लाख नये KCC जारी किये गये हैं ऐसी प्रगति प्रदर्शित हो रही हैं।

हम यहाँ यह भी बताना चाहेंगे कि भारत सरकार ने हर पात्र किसानों को के.सी.सी. जारी करने के दिशा निर्देश दिये हैं और जिन -13- जिलों में यह कार्य पूरा कर लिया गया हैं उसी आधार पर अन्य जिले भी रूपे कार्ड जारी करने का कार्य भी पूरा कर लें।

प्रदेश सरकार द्वारा घोषित "कृषि बीमा योजना" एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (PAIS) के अंतर्गत सभी ऋणी किसानों को लाया जाये – यह बैंको के हित के लिए आवश्यक है।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ मुख्यतया समाज के गरीब तबके के लोगों को समाविष्ट करने हेतु लागू की जाती हैं। जिसमें सब्सिडी/ मार्जिन मनी/ Interest Subvention आदि के प्रावधान प्रमुख हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) नामक नयी योजना के बारें में हम यहाँ बताना चाहेंगे – जो प्रदेश के -22- जिलों के -22- खण्डों (Blocks) में त्वरित रूप से लागूं की गयी है। इस बारें में भी हमारा बैंको से अनुरोध है कि इस योजना के निर्देशों का पालन करते हुए दिए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ कि एस.एल.बी.सी. की एक उपसमिति बैंक ऑफ बड़ौदा के संयोजन में इस योजना की समीक्षा कर रही है और इस हेतु बैंक तथा नोडल एजेन्सी के एक संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है।

"राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)" के नाम तथा रूप में एक नयी योजना लागू की गयी है। भारत सरकार की इस योजना के दिशा निर्देश एवं लक्ष्य सभी बैंको को प्रेषित किये जा चुके हैं। पुन: प्रदेश की एक शिखर ऐजेंसी SUDA ने कुछ दिन पहले विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की एक जागृत कार्यशाला आयोजित की थी। मुझे विश्वास है कि ये दोनो योजनाएँ ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के एक वृहत समूह को बैंकिग सुविधायें प्रदान करने में प्रभावशाली सिद्ध होंगी।

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ यथा – पी.एम.ई.जी.पी., एम.एम.जी.वाई.,एस.सी.पी. और अन्य योजनाएँ जिनकी रचना इस रूप में की गयी थी कि वे समाज के विभिन्न वर्गो की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, उनको भी एक नयेरूप में बेहतर तरीके से लागू करने की जरूरत है।

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के ऋण का प्रवाह खाता संख्या व धनराशि के रूप में क्रमशः 21.32% एवं 21.72% के स्तर पर सम्पूर्ण प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम का हैं, जो निर्धारित मानक स्तर 15% से अधिक है। इसी प्रकार से प्रदेश के -21- चिन्हित जिलों मे इस समुदाय का ऋण- प्रवाह खाता सं. व धनराशि के रूप में सम्पूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम का क्रमशः 28.55% और 20.92 % के स्तर पर हैं।

हम राज्य सरकार की सराहना करेंगे कि उन्होने जिला राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि वे अपनी मासिक वसूली बैठक में बैंक अधिकारियों को भी आमंत्रित करें जिससे सरफेशी एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत अग्रसारित आवेदन पत्र का समय से निस्तारण हो सकें।

मुझे विश्वास है कि सरफेशी एक्ट - 2002 में इस एक्ट को कड़ाई से लागू करने के नियमों में जो संशोधन हुए हैं उनसे बैंको द्वारा प्रस्तुत फाइलों को समय से निपटाने में सहयोग मिलेगा और प्रदेश में वसूली की स्थिति सुदृढ होगी। अपने अध्यक्षीय सम्बोधन के अंत में उन्होंने बैंकर्स का आहवाहन किया कि वे वित मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक व प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तन्मयता से पालन करें जिससे हम अपने उद्देश्य में सफल हों।

श्री देवाशीष पाण्डा, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव (कृषि), उ. प्र. शासन ने बैठक को सम्बोधित करते हुये सभी बैंको द्वारा केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रदेश में बेहतर क्रियांवयन हेतु समुचित प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होने निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला –

- जनसंख्या की दृष्टि से उ.प्र. देश का पाँचवा वृहत प्रदेश है। यहाँ की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। जिसमे लगभग 200 करोड़ परिवार शामिल हैं। सकल आय की 20% आय कृषि आधारित है।
- बैंको द्वारा फसली ऋण प्रवाह के आँकड़ो की सराहना करते हुए उन्होनें इस बात पर जोर दिया कि बैंक फसली ऋण (क्राप लोन) में लम्बी अवधि एवं लघु अवधि के फसली ऋण पर ज्यादा ध्यान दें।
- प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के बैंको के प्रयासों की सराहना करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि वैसे तो उ.प्र. में बैंक किसान क्रेडिट कार्ड जारी तो कर रहे है परंतु पंजाब व हरियाणा जैसे अन्य प्रदेशों की तुलना में यह अनुपात कम है तथा इसमें व्यापक सुधार सम्भव हैं।
- प्रदेश में विपणन/ मार्केटिंग का भरपूर स्रोत हैं। सिंचाई का भी पूरा लाभ प्रदेश को मिलता हैं। इसके बावजूद हम कृषि से संतोषजनक उपलब्धि नही हासिल कर पा रहे हैं।
- नयी फसली बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कम्पनियो से आग्रह है कि वे फसल बीमा योजना के बारे में बैंको से तालमेल बिठाकर कार्य करें जिससे वास्तविक बीमा प्रीमियम प्राप्त हो सकें।
- भौगोलिक रूप से पिछड़े इलाके जैसे चित्रकूट, बुन्देलखण्ड व विन्ध्याचल जैसे क्षेत्रे में सुनियोजित रूप से ध्यान देने की जरूरत है ताकि खरीफ मौसम में वहाँ बेहतर उपलब्धि की हासिल की जा सके।
- वेयर हाउसिंग फाइनेन्सिंग गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि को ऋण प्रदान करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों में सब्सिडी की अपार धनराशि पड़ी हुई है जिसका लाभ बैंको को नही मिल पा रहा हैं।

- वितीय समावेशन कार्यक्रम आज के परिपेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें बैंको के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्रों की भागीदारी भी आवश्यक है।

अंत मे उन्होने उपस्थित बैंकर्स को धन्यवाद देते हुए प्रदेश में सभी के सामूहिक सहयोग की आकांक्षा की एवं सभी के सहयोग की सहभागिता अनिवार्य बताई।

श्री मनीष गुप्ता, निदेशक (सीपी एवं एम.एफ.), वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला –

- प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े सभी बैंक बधाई के पात्र हैं। इस योजना के प्रथम चरण में ही भारतवर्ष में लगभग 2 करोड़ से अधिक खाते खोलने के लिए सभी बैंको ने भरपूर प्रयत्न किया और सरकार के एक करोड़ के अनुमानित आँकड़े की तुलना मे 2 करोड से अधिक खाते खोलकर बैंको ने एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य किया है।
- प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप 26 जनवरी 2015 तक इस कार्य को पूर्ण किया जाना हैं।
- जैसा कि आंकड़े बताते हैं कि दिनांक 30.08.2014 तक उ.प्र. में लगभग 35 लाख खाते खोले जा चुके हैं।
- खोले गये 2 करोड़ 32 लाख खातों मे अभी तक सिर्फ 10 से 15 % तक ही रूपे कार्ड जारी किये गये हैं। इस पर तीव्रता लाने की जरूरत है। दिनांक 25.09.2014 तक खोले गये सभी खातों में रूपे कार्ड जारी करना अत्यन्त ही आवश्यक है। बैंक इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।
- दिनांक 30.09.2014 तक सभी नये बी.सी. की नियुक्ति करना भी सुनिश्चित करें।
- SSA के अंतर्गत हाउसहोल्ड सर्वे एक सुनियोजित रूप से करें एवं इसे एक मिशन के रूप में लें।
- बैंक इस बात को भी सुनिश्चित करें कि खुलने वाले सभी खाते आधार कार्ड से लिंक हो और सभी ग्राहकों से इसकी अनिवार्यता के बारें में विस्तृत चर्चा करें। क्योकि मिलने वाली सब्सिडी का भुगतान उन्हीं खातों में होगा जो आधार कार्ड से लिंक होंगे।
- प्रत्येक शनिवार को प्रधानमंत्री जन धन योजना का एक वृहत कैम्प हर शाखा में लगना अनिवार्य है जिसके बैनर्स, पोस्टर बैंक की हर शाखा में उचित रूप से लगे होने चाहिए।
- इस योजना के हर खातेदार को वितीय साक्षरता से सम्बन्धित साहित्य उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। हर खातेदार अपने खाते के बारे में पूरी जानकारी इन साहित्य के माध्यम से भी प्राप्त कर सकता है।
- कृषि ऋण प्रवाह में सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंको की तुलना में बेहतर कार्य कर रहे है। समग्र ऋण लक्ष्यों कासिर्फ 26.06% ऋण निजी बैंक एवं 15.31% ऋण ग्रामीण बैंक कर रहें हैं जो अनुमान से कम हैं। सेवा क्षेत्र के ऋण 20% ही हैं तथा शिक्षा ऋण केवल 9.18% ही है जिसे बढाना है।
- उन्होंने बैंको से आग्रह किया कि हर पात्र खाता धारक को किसान क्रेडिट कार्ड अवश्य जारी किया जायें।
- बैंक ऋणों की वसूली के बारें मे भी प्रमुख सचिव शासन को लिखा गया है जिससे बैंक ऋणों की वसूली के बारें में उचित दिशा निर्देश मिल सके और बैंक ऋणों की वसूली समय से हो सके।

अंत में श्री मनीष गुप्ता, निदेशक (सी.पी. एवं एम.एफ.), वित मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी उपस्थित जनों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रदेश सरकार एवं प्रदेश में कार्यरत सभी बैकर्स से लक्ष्यों एवं योजनाओं के शत प्रतिशत क्रियांवयन हेतु अनुरोध किया।

श्रीमती सुप्रिया पटनायक, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया –

- अपने प्रदेश में वितीय समावेशन की कार्य प्रणाली एवं इसकी उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश शासन बधाई के पात्र हैं। प्रदेश में वितीय समावेशन की स्थिति और भी बेहतर बनायी जा सकती है तथा इस अभियान की सफलता तभी हो सकती है जब हर पात्र व्यक्ति इसके दायरे में आ सके।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो खाते खुल रहे है और जितने खुल चुके है इनकी संख्या एवं स्थिति वास्तव में हर्ष का विषय है परंतु इस स्थिति से सही आंकलन के लिए ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जिससे हमें यह पता चले कि कोई व्यक्ति अपने नाम से एक से अधिक खाते न खोल सके। इस हेतु एक सुदृढ़ मानीटरिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी।
- खुलने वाला हर खाता वास्तव में नया खाता हो और यह खाते No frill account के रूप में ही खोले जायें।
- ऐसे किसानों को भी बीमा के दायरें में लाया जाये जो कही से भी ऋण प्राप्त न किये हों। प्रदेश शासन से अनुरोध है कि ऐसी त्वरित प्रणाली विकसित करें ताकि बैंको को बैंक ऋणों की वसूली में तीव्रता आ सके।
- हमारे प्रदेश में अन्न भण्डारण के क्षय को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठायें जायें। साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे बिजली क्षय कम से कम हो ।

  प्रधानमंत्री जन धन योजना को एक मिशन के रूप में समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। जिसके अंतर्गत शाखा विस्तार एवं बी.सी. संरचना भी महत्तवपूर्ण है।
- भारत सरकार के बी.एस.एन.एल. विभाग से मिलकर बैंको की कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वितीय साक्षरता की अत्यन्त आवश्यकता हैं।

श्री के.के. गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने सदन को अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की –

- प्रधानमंत्री जन धन योजना एवं वितीय समावेशन आज की आवश्यकता है। यद्यपि सभी बैंक इस दिशा में कार्य कर रहे हैं परंतु अभी भी को-ऑपरेटिव (सहकारी) बैंक इस योजना से नही जुड पा रहे है। इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है कि कैसे हम इन सहकारी बैंको को इस योजना से जोड़े।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस योजना में खाते तो खोल रहे है परंतु रूपे कार्ड जारी नही कर रहे है। अतः इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रूपे कार्ड कैसे जारे करें।
- स्वयं सहायता समूहों के खातों पर लगने वाले प्रभार व स्टाम्प शुल्क में अन्य प्रदेशों की भांति ही कमी करने की जरूरत है।

- सभी 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि ऋण क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्शायें। ऐसी आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण बैंको का योगदान कृषि ऋण क्षेत्र में बहुत ही कम हैं।
- कृषि अग्रिम के क्षेत्र में आवधिक ऋण पर जोर देना चाहिए।
- प्रदेश शासन से अनुरोध है कि एक ऐसी वेबसाइट बनायें जिस पर पात्र व्यक्ति जो बड़ी परियोजनाएँ लगाना चाहते है- अपना आवेदन सीधे उस वेबसाइट पर भेज सकें। व्यक्ति अपनी परियोजना का पंजीकरण सीधे उस वेबसाइट पर करा सकें।
- प्रदेश शासन कृषि अग्रिम से सम्बन्धित सभी परिपत्र एवं सब्सिडी तथा अन्य योजनाओं के परिपत्र सीधे अपने वेबसाइट पर डाल दें जिससे सभी लाभांवित हो सकें।
- प्रदेश में बाढ एवं सूखे की स्थिति पर भी प्रशासन बैंको से मिल कर चर्चा करें एवं आवश्यक कदम उठाने के प्रयासों के बारे में विस्तार से बतायें।
- प्रदेश में कम ऋण जमा अनुपात एक चिंता का विषय है तथा इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।

अपने सम्बोधन के अंत में मुख्य महाप्रबन्धक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में विभिन्न विभागों एवं बैंक के उच्चाधिकारियों से उच्चतम स्तर की सहभागिता पर बल दिया ताकि विभिन्न मुद्दो पर नीतिगत निर्णयों हेतु तुरन्त कार्यवाही सम्भव हो सकें।

उपस्थित गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के उपरांत पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हेतु स्थिति प्रस्तुत की गयी ।

कार्यसूची संख्या – 1

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 06.06.2014 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

विगत बैठक दिनांक 06.06.2014 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 13.08.2014 को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या – 2

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 06.06.2014 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

1. **प्रदेश के सभी जनपदों में बैंको द्वारा आर – सेटी संस्थानो की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का नि:शुल्क आवंटन –**

सदन को अवगत कराया गया कि अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा कुल -65- जनपदों में नि:शुल्क भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की गयी है। शासन द्वारा अवगत कराया गया कि -10- अन्य जनपदों में भूमि आवंटन प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी। सदन को यह भी अवगत कराया गया कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा संयोजित आरसेटी की सब कमेटी की बैठक दिनांक 21.08.2014 को आयोजित की गयी है जिसमे इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गयी। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि विभिन्न आरसेटी के निर्माण की **Stagewise** समीक्षा सब कमेटी द्वारा की जा रही हैं।

2. **राज्य के शेष सभी जनपदो मे आरसेटी की स्थापना**

पंजाब नैशनल बैंक एवं सिंडिकेट बैंक से अनुरोध किया गया कि वे अपने अग्रणी जनपदों यथा बदायूँ, झाँसी तथा शामली एवं सम्भल तथा हापुड क्रमश:, में शीघ्र ही आरसेटी की स्थापना करें। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि इस विषय पर उनके द्वारा **MoRD** से कुछ स्पष्टीकरण माँगा गया था जो अभी अपेक्षित है। दोनो बैंको ने शीघ्र ही इन जनपदों में आरसेटी की स्थापना का आश्वासन दिया।

3. **प्रदेश में -3000- नयी बैंक शाखाओं की स्थापना :**

इन दोनो ही मानको में बैंकवार अद्यतन स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार 01.01.2013 से 31.07.2014 तक कुल -2307- नयी बैंक शाखाओं की स्थापना की गयी है। सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 26.08.2014 को विशेष सचिव एवं निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ0 प्र0 की अध्यक्षता मे एक बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें ऐसे बैंक जिनकी लक्ष्य पूर्ति में वृहद अंतर है, को यह कार्य 31.12.2014 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। विभिन्न बैंकों के प्रमुखों के

साथ आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक के माध्यम से प्रगति समीक्षा एवं भविष्य की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गयी है।

4. <u>-2000- से कम आबादी वाले सभी -76855- गांवों में मार्च 2016 तक चरणबद्ध तरीके से वित्तीय समावेशन कार्यक्रम लागू किया जाना</u>

सदन को अवगत कराया गया कि बैंकों द्वारा अपने बोर्ड अनुमोदित प्लान 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किये गये हैं। सदन को अद्यतन प्रगति से अवगत कराते हुये बताया गया कि 2000 से कम आबादी वाले सभी गॉवों (-76855-) में 2016 तक बैंकिंग सेवाओ के विस्तार हेतु तैयार रोडमैप के अंतर्गत जून' 2014 त्रैमासांत तक सभी बैंको द्वारा मात्र -19608- गॉव को कवर किया गया है जो लक्ष्य के सापेक्ष अत्यंत ही सूक्ष्म है। भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय एवं भारत सरकार द्वारा हमारे प्रदेश की शिथिल प्रगति पर चिंता व्यक्त की गयी है।

यहाँ उल्लेख करना समीचीन होगा कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा हैं तथा माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा इसे **"प्रधानमंत्री जन- धन योजना"** के नाम से दिनांक 28.08.2014 को उदघोषित किया गया तथा इस योजना की प्रगति की समीक्षा साप्ताहिक रूप से भारत सरकार द्वारा की जा रही हैं।

5. <u>बड़ौदा यू पी ग्रामीण बैंक को Recapitalization assistance प्रदान करना</u>

सदन को अवगत कराया गया कि संस्थागत वित्त निदेशालय, उ0 प्र0 से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विषय पर उपयुक्त स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश सरकार ने बड़ौदा उ.प्र. ग्रामीण बैंक से संशोधित **MoU** की माँग की है ताकि इस विषय में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

6. <u>वर्ष 2014-15 में PMEGP योजना का क्रियांवयन एवं लम्बित मार्जिन मनी दावो के निस्तारण से सम्बन्धित</u>

सदन को अवगत कराया गया कि एस. एल. बी. सी. द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये भारत सरकार द्वारा जनपदवार आवंटित लक्ष्यों को सभी सदस्यों को पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है साथ ही नोडल विभाग द्वारा जारी किये गये 100 दिवसीय **Action Programme** भी प्रेषित किया जा चुका है। सभी बैंको से अनुरोध हैं कि वह इन दिशानिर्देशो का सतर्कता पूर्वक पालन करें। लम्बित मार्जिन मनी दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में सभी बैंको से अनुरोध दौहराया गया कि वह अविलम्ब इन सभी दावों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

कार्यसूची संख्या – 3 (वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत प्रगति)

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2000 से अधिक व 2000 से कम आबादी वाले सभी गावों में बैंकिग सेवाओ के विस्तार की विस्तृत स्थिति से सदन को अवगत कराया गया। 2000 से कम आबादी वाले चयनित -76855- गॉवों मे बैंकिंग सुविधाओ के विस्तार हेतु बैंको द्वारा बोर्ड एप्रूव्ड प्लान (वार्षिक आधार पर) तैयार कर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किये जा चुके है।

सदन को अद्यतन प्रगति से अवगत कराते हुये बताया गया कि 2000 से कम आबादी वाले सभी गॉवों (-76855-) में 2016 तक बैंकिंग सेवाओ के विस्तार हेतु निर्मित रोडमैप के अंतर्गत जून' 2014 त्रैमासांत तक सभी बैंको द्वारा मात्र -19608- गाँव को कवर किया गया है जो लक्ष्य के सापेक्ष अत्यंत ही सूक्ष्म है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय एवं भारत सरकार द्वारा हमारे प्रदेश की शिथिल प्रगति पर चिंता व्यक्त की गयी है।

यहाँ उल्लेख करना समीचीन होगा कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा हैं तथा माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा इसे **"प्रधानमंत्री जन- धन योजना"** के नाम से दिनांक 28.08.2014 को उदघोषित किया गया तथा इस योजना की प्रगति की समीक्षा साप्ताहिक रूप से भारत सरकार द्वारा की जा रही हैं।

योजना को दिल्ली में आरम्भ करने के समारोह के साथ-साथ इसे राज्यों की राजधानियों, मुख्य शहरों तथा जिला मुख्यालयों में भी आरंभ करने का समारोह साथ-साथ आयोजित किये गये। इसी क्रम में हमारे प्रदेश में लखनऊ में स्तरीय कार्यक्रम तथा प्रदेश के -5- अन्य केन्द्रों यथा आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणासी एवं बरेली में प्रमुख कार्यक्रम तथा अन्य सभी 69 जिला मुख्यालयों एवं सभी बैंक शाखाओं में कार्यक्रम आयोजित किये गये।

इस योजनांतर्गत, पहले से मुख्य बदलाव निम्नवत हैं-

- पूर्व में ग्राम लक्षित कार्यक्रम के बदले परिवारों को लक्षित करना है।
- इसके अलावा, इस बार ग्रामीण (एस.एस.ए. द्वारा) और शहरी (वार्ड एलोकेशन) दोनों क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है जबकि पहले केवल ग्रामीण क्षेत्रों को ही लक्षित किया गया था।
- मौजूदा योजना में माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले मिशन के जरिए निगरानी पर विशेष जोर देते हुए डिजिटल वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है। राज्य स्तर पर एवं सभी जनपद स्तर पर विशेष समंवय समितियों का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर गठित समिति की अध्यक्षता प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश शासन एवं जनपद स्तर पर गठित समिति की अध्यक्षता सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा की जानी है।

योजनांतर्गत एस.एस.ए. कवरेज, दिनांक 30.08.2014 तक प्रदेश में आयोजित किये गये कैम्प्स तथा खोले गये खातों की स्थिति से सदन को अवगत कराया गया।

इसी क्रम में पीएमजेडीवाई से सम्बन्धित जानकारियों के लिये एक टोल फ्री नं (हेल्पलाइन)- 1800223344 तथा 18001024455 का उदघाटन श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किया गया ।

डी.बी.टी. योजनान्तर्गत प्रदेश के चयनित -6- जनपदों यथा इटावा (सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया), चित्रकूट व श्रावस्ती (इलाहाबाद बैंक), संत कबीर नगर (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया) एवं रायबरेली व अमेठी (बैंक ऑफ बडौदा) में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की जनपदवार समीक्षा की गयी।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर – एल.पी.जी. (डी.बी.टी.एल.) योजनांतर्गत प्रदेश के -3- जनपदों यथा कानपुर नगर (बैंक ऑफ बड़ौदा), लखनऊ (बैंक ऑफ इण्डिया) एवं इटावा (सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया) का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया है जहाँ योजना का क्रियान्वयन 01.01.2014 से प्रारम्भ किया गया है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस योजना के क्रियांवयन से सम्बन्धित विस्तृत समीक्षा नियमित रुप से की जा रही है। ततक्रम में प्रमुख सचिव (खाद्य एवं रसद), उ.प्र. शासन एवं आयुक्त (खाद्य एवं रसद), उ.प्र. शासन द्वारा दिनांक 10.01.2014, 27.01.2014 एवं 05.02.2014 क्रमशः समीक्षा बैठके आयोजित की गयी है।

शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 31.07.2014 तक कुल -2307- नयी बैंक शाखाओं की स्थापना की गयी है। दिनांक 26.08.2014 को विशेष सचिव एवं निदेशक, संस्थागत वित निदेशालय, उ0 प्र0 की अध्यक्षता मे एक बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें ऐसे बैंक जिनकी लक्ष्य पूर्ति में वृहद अंतर है, को यह कार्य 31.12.2014 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रमुख बैंकों के प्रमुखों के साथ इस उच्च स्तरीय बैठक के माध्यम से प्रगति समीक्षा एवं भविष्य की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गयी है।

सभी बैंक के नियंत्रकों ने सदन को आश्वासन दिया कि वे अधिकाधिक शाखाएं खोलने हेतु प्रयासरत है। इस क्रम में कुछ बैंकों ने विद्युत आपूर्ति, कनेक्टिविटी तथा उचित परिसर न मिल पाने जैसी आ रही समस्याओं से अवगत कराया।

<u>कार्यसूची संख्या – 4 (बुनकर/ हैण्डलूम क्रेडिट काई योजना)</u>

सदन में इस विषय पर भी वृहद चर्चा हुई कि हैण्डलूम सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए कुछ विशिष्ट सुविधायें प्रदान की जायें जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकें। माननीय वित्तमंत्री, भारत सरकार ने हैण्डलूम सेक्टर को दिये गये ऋण मे अतिदेय राशि को माफ करने की घोषणा भी की है और इस हेतु रू. 300 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की हैं। बुनकरों को दिए जाने वाले क्रेडिट कार्ड पर मार्जिन राशि क्लेम हेतु भी चर्चा की गयी। बुनकरों को जारी क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य हेतु सभी को पत्र भी लिखा जा

चुका हैं। इस प्रगति के समीक्षा हेतु जिला स्तर पर – डी.सी.सी. एवं डी.एल.आर.सी. की बैठक में वृहत चर्चा की जा रही हैं।

कार्यसूची संख्या – 5 (वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा- Annual Credit Plan 2014-15)

अग्रिम के विभिन्न सेक्टर के आधार पर वार्षिक ऋण योजना – 2014-15 के अंतर्गत जून'2014 का विवरण यह प्रदर्शित करता है कि इस तिथि तक वितरण धनराशि का प्रतिशत लक्ष्य का 21.19% रहा हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में संतोषजनक रहा हैं।

कृषि क्षेत्र में वितरण का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहा हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक का वितरण प्रतिशत संतोषजनक नहीं रहा। अतः इनमें सुधार की आवश्यकता हैं।

कार्यसूची संख्या – 6 (ऋण जमा अनुपात)

सदन में ऋण जमा अनुपात (CD Ratio) पर वृहत चर्चा हुई । प्रदेश के -75- जिलों में से कुल -19- जिलों में यह अनुपात 40% से भी कम रहा।

यूनियन बैंक के प्रतिनिधि ने सदन को बताया कि इस हेतु एक " उप समिति" का गठन किया गया है जिसमें यह चर्चा की जा रही हैं कि 40% तक पहुँचने के लिए किस तरह की रूपरेखा तैयार की जाये व कौन सी कार्य प्रणाली अपनायी जायें।

बैंको द्वारा जमा राशि के एवज मे कम ऋण वितरण करने के कारणों पर भी चर्चा की गयी। बैंको द्वारा कम ऋण या ऋण न करने के लिए जिन प्रमुख कारणों पर चर्चा हुई उनमें एक मुख्य कारण बन्धक की गयी भूमि के खतौनी व दस्तावेजों के फर्जी होना बताया गया। खास कर बाराबंकी जिले में नकली खतौनी बनाकर जमीन की रजिस्ट्री कराने का मामला उठाया गया।

राजस्व परिषद से सम्बन्धित अधिकारी श्री वी.के.गुप्ता ने सदन को बताया कि अब इण्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन खतौनी कोई भी निकाल सकता है और प्रस्तुत खतौनी की सत्यता की जाँच कर सकता हैं।

कार्यसूची संख्या – 7 (पूर्वोत्तर भारत में हरित क्रांति लाने हेतु प्रदेश में कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा)

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की अध्यक्षता में गठित उप- समिति की बैठक में कृषि- ऋण प्रवाह की समीक्षा की गयी। इस हेतु नाबार्ड द्वारा भी आवश्यक कदम उठायें गये जिस पर चर्चा की गयी।

कार्यसूची संख्या – 8 (किसान क्रेडिट कार्ड/ फसली ऋण)

सदन में इस पर वृहत चर्चा हुई और यह बताया गया कि प्रदेश में स्थित सभी व्यवसायिक/ क्षेत्रीय ग्रामीण व सहकारी बैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना को अपने यहाँ सुचारू रूप से लागू कर रहें है। सदन को कुल जारी क्रेडिट कार्ड, नवीनीकरण हेतु कार्ड एवं कितने नये कार्ड जारी किये गये हैं, की जानकारी से अवगत कराया गया।

सहकारी बैंक अभी किसान क्रेडिट कार्ड जारी नही कर रहे है। इस बारे में समिति को कोई भी डाटा उपलब्ध नही कराया गया हैं।

फसली बीमा के बारे में चर्चा होने पर सदन को यह बताया गया कि बीमा कम्पनियों से लगभग रू. 325 करोड़ की क्षतिपूर्ति बैंको को भेजी जा चुकी हैं, परंतु बहुत से बैंक इन प्रीमियम धनराशि को किसानों के खातों में समायोजित नही कर रहे हैं। इस हेतु सम्बन्धित बैंको को निर्देश जारी करने के लिए चर्चा की गयी। प्रमुख सचिव (कृषि), उ.प्र. शासन ने कुछ बैंको द्वारा कम के.सी.सी. जारी करने/ नवीनीकरण करने हेतु प्रश्न उठाया – इनमें प्रमुख यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, आन्ध्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक एवं आई.डी.बी.आई. हैं।

महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सदन को अवगत कराया कि कुछ बैंको द्वारा डाटा का समय से प्रेक्षण नही करने के कारण हम अपने रिकार्ड को अद्यतन नहीं कर पाते हैं।

कृषि विभाग के प्रतिनिधी द्वारा अवगत कराया गया कि एक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि लगभग 79% किसानों को के.सी.सी. जारी किये जा चुके हैं और सिर्फ 19% किसान नयी जनसंख्या के कारण इससे वंचित हैं जिन्हें समाहित करने के प्रयास जारी हैं। कृषि निदेशालय से यह अनुरोध किया गया कि वे जिलेवार के.सी.सी. की स्थिति का डाटा एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करें।

कार्यसूची संख्या – 9 (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु ऋण प्रवाह)

प्रदेश में कार्यरत सभी बैंको की सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु ऋण संस्तुति एवं स्थिति आंकलन की समीक्षा की गयी। CGTMSE कवरेज में हमारा प्रदेश SIDBI Data के आधार पर PAN INDIA में प्रथम स्थान पर रहा। परंतु इस सेक्टर में ऋण करने का अनुपात संतोषजनक नही हैं, जिसका कारण उच्च स्तर का एन.पी.ए. होना बताया गया। सदन में इस वस्तुस्थिति की वृहत समीक्षा की गयी। बैंको को इस सेक्टर के ऋण के लिए संशोधित दिशा- निर्देश निर्गत किये गये हैं।

इसी क्रम मे आर्टिजन क्रेडिट कार्ड जारी करने की योजना की भी समीक्षा की गयी। प्रदेश में कुल 5 लाख आर्टिजन हैं परंतु इसके सापेक्ष केवल 76342 आर्टिजन ही इस योजना से लाभांवित हुए है। इस कारण की भी चर्चा की गयी। चर्चा में यह बात उभर कर आयी कि बैंको द्वारा जारी अन्य कार्ड जैसे के.सी.सी., बुनकर कार्ड आदि पर बेहतर सुविधा मिलने के कारण ACC का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा हैं। ग्राहक इस कार्ड की तुलना अन्य कार्ड से करता है और बेहतर सुविधा वाला कार्ड लेने का प्रयास करता हैं।

आर्टिजन को मिलने वाले ऋण पर भी चर्चा की गयी। जिसमें यह बताया गया कि इस योजना के तहत कुछ रू. 2 लाख की ऋण सीमा निर्धारित है जो कि प्रोजेक्ट की रूपरेखा एवं भविष्य को देखते हुए ही संस्तुत की जाती है।

कार्यसूची संख्या – 10 (साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह

साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह योजनाओं के अंतर्गत जून' 2014 तक की स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। चर्चा के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि इस योजना में सभी को मिलकर और अधिक प्रयास करने चाहिये ताकि गरीब एवं कमजोर वर्ग को साहुकारी ऋणों से मुक्ति दिलायी जा सके।

कार्यसूची संख्या – 11 (कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वसूली की स्थिति)

- कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में दिये गये ऋणों की वसूली की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में कम रही हैं। अन्य वाणिज्यिक बैंको की तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में ऋण वसूली का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा हैं।
- सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में भी वसूली की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता हैं क्योकि इन योजनाओं में भी वसूली का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ही कम हैं।

कार्यसूची संख्या – 12 (अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता)

इस योजनांतर्गत सदन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या – 13 (स्वयं सहायता समूह)

सदन में इस बात पर वृहत चर्चा हुई कि इस समूह को मिलने वाली वित्तीय सहायता हेतु लक्ष्य नाबार्ड द्वारा दिये जाते हैं जिसका पालन बैंको द्वारा किया जाना होता है। इस बारे में सदन को यह बताया गया कि प्रदेश के आठ जिलें पूर्णतया पिछड़े हुए हैं। जिनमें स्थानीय एन.जी.ओ. के माध्यम से कार्य किया जा रहा है जिसकी समीक्षा नाबार्ड स्वयं करता हैं।

कार्यसूची संख्या – 14 (विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों की समीक्षा)

"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – एन.आर.एल.एम." योजना का क्रियांवयन

- प्रदेश के 22 जिलों के -22- चिन्हित खण्डों (Blocks) में एक साथ किया गया। अन्य जिलों में भी इस योजना की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जायेगी। सदन को यह भी बताया गया कि कुल -46- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में केवल 4 ग्रामीण बैंक ही इस योजना पर कार्य कर रहे हैं।
- इस कार्य की समीक्षा हेतु एक उप समिति का गठन संयोजक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में किया गया है जो योजना की समीक्षा कर रही हैं।

राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण आजीविका मिशन – NULM

भारतीय रिजर्व बैंक ने पुराने " स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना" को बदलकर एक नयी योजना "राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण आजीविका मिशन" (NULM) को लागू किया है जिसका परिपत्र जारी किया जा चुका है।

एस.एल.बी.सी. ने इस योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा मिले लक्ष्यों को सभी बैंको को सूचित कर दिया हैं। बैंको द्वारा इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया गया।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

- एस.एल.बी.सी. द्वारा इस योजना के क्रियांवयन हेतु वर्तमान वर्ष 2014-15 के लक्ष्य सभी को भेजे जा चुके हैं।
- बिना प्रशिक्षण के ऋण का वितरण न किया जाये या योजना के वर्तमान दिशा निर्देशों के आधार पर वितरण से पूर्व प्रशिक्षण की कार्यवाही अवश्य पूरी कर ली जाये।
- इस योजना में मिलने वाली मार्जिन राशि के दावों के निस्तारण पर होने वाली समस्याओं पर चर्चा की गयी तथा त्वरित निस्तारण हेतु अनुरोध किया गया।

सघन मिनी डेयरी परियोजना

इस योजना के बारे में सदन को बताया गया कि यह समय दुधारू पशुओं की खरीद का उत्तम समय हैं अतः बैंको को निर्देशित किया जाये कि वे ऋण का वितरण समय से करें जिससे लाभ्यार्थी समय से पशुओं का क्रय कर सकें और उनसे लाभ उठा सकें।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान

श्री वी. सी. श्रीवास्तव, मेनेजिंग डायरेक्टर, उ. प्र. अनुसूचित/ जनजाति वित्त एवं विकास निगम लि. ने इस योजना पर चर्चा की एवं इस योजना के अंतर्गत त्वरित ऋण स्वीकृति एवं वितरण कार्यवाही हेतु अनुरोध किया।

कुक्कुट (मुर्गी) पालन योजना का विकास

इस योजना के विकास हेतु नोडल एजेंसी ने बैंकवार सूची प्रस्तुत की हैं जिसके आधार पर बैंको को इस योजना के विकास हेतु आवश्यक कदम उठाने पर चर्चा की गयी।

कार्यसूची संख्या – 15 (सरकार की नयी योजनाओं के अंतर्गत वित्त पोषण)

कृषि योजनाओं के प्रोत्साहन हेतु केन्द्र सरकार ने कुछ नयी योजनाओं को लागू किया हैं। इन योजनाओं पर वृहत चर्चा की गयी और बताया गया कि ये योजनाएँ नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त हैं जिनकी जानकारी नाबार्ड की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। इसमें बताया गया कि बैंको द्वारा कुल 70 यूनिट को ऋण स्वीकृत किया गया जिसमें 62 यूनिट को ऋण का वितरण भी किया जा चुका हैं।

कार्यसूची संख्या – 16 (शैक्षिक ऋण)

सदन को यह बताया गया कि प्रदेश में शैक्षिक ऋण के अंतर्गत बैंको को दिये लक्ष्यों का पूर्णतया पालन कर लिया गया हैं। जहाँ पर ऋण स्वीकृत कर लिये गये हैं, वहाँ पर उसके वितरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश जारी किये गये है।

कार्यसूची संख्या – 17 (बैंको के विरूद्ध अपराध)

बैंको में हुए विभिन्न आपराधिक कार्यो जैसे बैंको में लूट की घटनाएँ, कर्मचारियों के साथ आपराधिक कृत्य जैसी घटनाओं पर सदन में वृहद चर्चा की गयी। पुलिस विभाग को यह निर्देश दिया गया कि वे घटनाओं की समीक्षा कर सभी लम्बित प्राथमिक सूचना रिपोर्ट एवं लम्बित मामलों का शीघ्र निस्तारण करें। इसी क्रम में सदन में उपस्थित पुलिस अधिकारी ने सदन को अवगत कराया कि सभी जनपदों में क्राइम ब्रांच गठित की गयी है तथा सभी लम्बित मामलें शीघ्र ही निस्तारित कर लिए जायेंगे।

सभा के अंत मे श्री एम. के. गुप्ता, उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 10.09.2014 को आयोजित बैठक के कार्यबिन्दु

SN	Issue	Latest Position	Required Action
1.	**Allotment of minimum 1 Acre of land free of cost by the State Govt. to the Banks for setting up of R-SETIs in remaining -10- Districts of the State.**	All Banks in the State have so far established -75- RSETIs in the rental buildings. The State Govt. has approved allotment of land in respect of -65- Districts so far. During the Meeting it was deliberated by the State Government that the State Govt. is in the process of allotment of land in remaining -10- Districts. However, due to certain constraints, the allotment process is getting delayed. It was also advised that in respect of -65- Districts the Banks must start the process of getting the lease deed execution, signing of MoU and construction of the building etc. so that the RSETIs may start functioning in its own building and the very purpose of RSETIs is served	As discussed during the Meeting, the State Govt. is requested to speed up the process of land allotment in remaining -10- Districts to enable Banks to start construction of the RSETI buildings etc. All the Lead Banks are also requested to ensure that the necessary formalities for construction of the RSETI buildings are completed at the earliest so that the RSETIs may start functioning in their own buildings. **(Action : Commissioner, Rural Development, GoUP & the Lead Banks)**
2.	**Setting up of RSETIs in all remaining Districts of the State**	During the Meeting it was observed by the house that -2- Lead Banks have yet to establish RSETIs in their Lead Districts as per resolution of the SLBC. Viz. Punjab National Bank (Badaun, Jhansi & Shamli) and Syndicate Bank (Sambhal & Hapur)	Both Lead Banks are requested to establish the RSETIs in their respective Lead Districts at the earliest **(Action : Punjab National Bank & Syndicate Bank)**
3.	**Implementation of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)**	Prdhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) was launched on 28.08.2014 by Hon'able Prime Minister for implementation of Financial Inclusion in a Mission Mode. This scheme envisages opening of atleast one account of each family, issuing RuPay Debit Card with inbuilt accidental insurance of Rs. 1 lakh, extending overdraft facility in such accounts where satisfactory transaction has been done in last six months, extending Micro Insurance Facility etc. The guidelines received from MoF, GoI for this scheme is being communicated to all concerned on day to day basis. As directed by MoF, GoI, account opening camps (8 a.m. to 8 p.m.) are to be organized by Banks on every Saturday and Mega Camps on every last Saturday of the Month. SLBC (UP) has setup TOLLFREE helpline numbers 1800223344 and 18001024455 for attending calls related to PMJDY. Various timelines have been set by MoF, GoI, for completion of survey & coverage which stands communicated to all.	All Banks are requested to meticulously comply with the guidelines received form MoF, GoI from time to time. Camps should be organized as per MoF guidelines and maximum no. of account should be open in such camps. Banks are requested to invariably issue RuPay Cards to the customer without any delay as this is the most important component of the scheme. Banks are requested to properly publicize various provisions under PMJDY scheme and also usage of RuPay cards. Banks are requested to strictly comply to the various timelines set by MoF, GoI. **(Action: All Banks.)**
4.	**Opening of -3000- new B&M Bank Branches by March 2014.**	As per decision of the Special SLBC Meeting Dated 15.01.2013, Banks have designed the roadmap for opening of -3000- new B&M Bank Branches by March 2014. It was informed that as many as -2307- new B&M Branches have been established by various Banks in the	The Banks are required to follow the set extended deadline to achieve the set Targets. Since the State Govt. has assured of all support and cooperation in this joint endeavour, Banks must obtain all necessary

		State up to 31.07.2014. The house was also informed that the DIF, GoUP and SLBC (UP) are periodically reviewing the progress with all concerned. In a high level meeting on 26.08.2014 under the Chairmanship of Special Secretary & Director, DIF, GoUP it has been decided to extend the time line up to 31.12.2014.	support from the District /State authorities and complete their respective targets within the extended time line i.e. 31.12.2014. It is also desired that the Monthly and Quarterly progress is advised to the DIF, GoUP & SLBC (UP) on regular basis by all Banks so that the State progress may be highlighted at various forums. **(Action : All Banks & State Government)**
5.	**Coverage of all - 76855-villages having polulation less than 2000 by March 2016 in phased manner**	It was informed that the Board approved Disaggregation Plan for 2013-14, 2014-15 & 2015-16 has been prepared and submitted to Reserve Bank of India by all Banks. As at June 2014 only -19608- villages have been covered by all Banks which is not very encouraging. The Reserve Bank of India & the MoF, Govt. of India have expressed concern on the poor performance of the State & has desired the need for urgent improvement and attainment of the set targets. The Reserve Bank of India has also desired of a confirmation from all Banks about bifurcation of the Branch wise targets of the Annual Disaggregation Plan which the Banks are required to submit at the earliest.	All Banks should ensure coverage of the villages set to be covered as per their targets & the consistent progress should be advised to all concerned on prescribed Annexure- B. Further the confirmation about bifurcation of the targets up to Branch level as desired by RBI should also be ensured by the Banks. **(Action : All Banks)**
6.	**Recapitalization of RRBs – The Baroda U.P. Gramin Bank**	In terms of the recommendations of Dr. K. C. Chakrabarty report, -2-RRBs viz. Baroda U.P. Gramin Bank, Raebareli & Kshetriya Kisan Gramin Bank, were identified for recapitalization assistance by GoI. Board of Directors of the Bank - BUPGB have in principle agreed to release its share of `29.75 crore and the State Govt. share to the tune of `12.75 crore is required to be released to BUPGB. The matter is being regularly discussed by the concerned Bank with the State Govt. and also during SLBC Meetings. During the Meeting CGM, NABARD requested the State Govt. to release its share so that the GoI and the sponsored Bank share may also be released and the Bank may infuse the funds to the Capital.	The State Govt. is requested to settle this issue at the earliest by releasing its share to BUPGB under the recapitalization Plan of GoI. **(Action : DIF, GoUP)**
7.	**Issuance of Weavers' Credit Card (WCC)**	As per directions of MoF, GoI this scheme has been designed to cater to the financial needs of small weavers under handloom sector. The extant guideline has been circulated to all the stakeholders and the scheme is being implemented in the State. For financial year 2014-15 GoI has given a target of issuing -25000- new Weavers' Credit Cards. At the same time -6- new clusters viz Varanasi and Mubarakpur, District Mau (UBI); Biswa, Distt Sitapur (Allahabad Bank); Prithvipur, Distt. Jhansi and Bijnour (PNB) and Barabanki (BOI) have been identified for setting up special credit camps on monthly basis. SLBC (UP) has communicated the necessary guidelines to all concerned.	The concerned authorities at District level viz. the Nodal Agencies, Lead District Managers, NABARD and all Banks are requested to coordinate for successful implementation of the scheme. The progress should be regularly reviewed in DCC/DLRC Meetings so that the desired progress may be achieved. **(Action : Nodal Agency, NABARD, LDMs, and All Banks)**

List of the participants for SLBC (UP) Meeting dated 10.09.2014

PARTICIPATION SHEET

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details			
				Designation	Name	Contact No.	Email_ID
1	Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai	Chairman & Managing Director / Executive Director	Yes	Executive Director	Shri P Srinivas	022- 66985888	
2	Bank of Baroda, EUP Zone, Lucknow	General Manager	Yes	General Manager	Shri Nirmesh Kumar	0522-6677607	
3	Reserve Bank of India, Lucknow	Regional Director	Yes	Regional Director	Smt. Supriya Pattnaik		
4				Dy. General Manager	Shri S K Verma	8004921328	skverma1@rbi.org.in
5				Asstt. Gen. Manager	Shri Gopal Prasad	9984811113	gopalprasad@rbi.org.in
6	NABARD, R.O., Lucknow	Chief Gen. Manager	Yes	Chief General Manager	Shri K K Gupta	9453004901	lucknow@nabard.org
7				Dy. General Manager	Shri A K Sarangi	7275239656	aks2807@gmailgmail.com
8	SIDBI, Lucknow	State In-charge/ Dy. Managing Director	No	Dy. General Manager	Ms Srabani Das	9972531772	sdas@sidbi.in
9	State Bank of India, Lucknow	Chief Gen. Manager/Gen. Manager	Yes	General Manager	Shri Ranjan kumar	8874498555	gm3lholuc@sbi.co.in
10				Dy. General Manager (Agri)	Shri V S Negi	7408411286	dgmasu1.lholuc@sbi.co.in
11				Asstt. General Manager	Shri B N Tandon	7408433889	agmlb.lholuc@sbi.co.in
12	Punjab National Bank, Lucknow	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	Field General Manager	Shri Y P Barar	9198689898	fgmlck@pnb.co.in
13				Chief Manager	Shri Ashwani Kumar Singh	8004920953	aksingh@pnb.co.in
14	Allahabad Bank, Lucknow	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	Field General Manager	Shri Ajay Kr. Srivastava	8400339988	fgmo.luc@allahabadbank.in
15				Senior Manager	Shri Raj Kumar Sharma	9415527540	fgmo.luc_slbc@allahabadbank.in
16	Union Bank of India, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	No	Dy. General Manager	Shri A K Singh	9984555111	avinashksingh@unionbankofindia.com
17				Asstt. General Manager	Shri A K Gupta	9918900290	
18				Sr. Manager	Shri Motilal	9918702102	
19	Canara Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager / State Head	No	Asstt. General Manager	Shri S. K. Saxena	8756993600	saxena.sk@canarabank.com
20				Manager	Shri Kirit Nagar	8948262477	afpscoluck@canarabank.com
21	Syndicate Bank, Lucknow	Field. Gen. Manager/ State Head	Yes	Field General Manager	Shri Kamal Bhola		fgmolucknow@syndicatebank.co.in
22				Manager	Shri H V Trivedi	9415550978	fgmo.lucknow@syndicatebank.co.in
23	Bank of India, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri M K Gupta	9839013933	
24				Chief Manager	Shri Ajay Mehrotra	9406517516	lucknow.afd@bankofindia.co.in
25	Central Bank of India, Lucknow	Field. Gen. Manager/ State Head	Yes	Field. General Manager	Shri P K Gupta	9918044442	zmluckzo@centralbank.co.in
26				Chief Manager	Shri Anup Kumar	9918002151	rdluckzo@centralbank.co.in
27	Andhra Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri Vinay Verma	9793205559	zoluck@andhrabank.co.in

28	Bank of Maharashtra, Lucknow	Asstt. Gen. Manager/ State Head	No	Nodal Officer	Shri Plaban Patra	7376661636	pln_luc@mahabank.co.in
29	Corporation Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri Shiv Raj Mishra	9984756223	lb8817@corp.co.in
30				Chief Manager	Shri R S Deshpande	9559902555	cb8817agri@corpbank.co.in
31	Dena Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri Roshan Sharma	9838851999	roshansharma@denabank.co.in;zo.lucknow@denabank.co.in
32				Manager	Shiv Sagar Chaurasia	9721459202	rdd.lucknow@denabank.co.in
33	Indian Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri. A. K. Bajpai	9839016070	zolucknow@indianbank.co.in
34				Manager (Agri)	Shri Jailendra Singh	9598059588	zolucknow@indianbank.co.in
35	Indian Overseas Bank, Lucknow	Chief Regional Manager/State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri Hari Babu Shukla	9839010168	crmlucknow@iobnet.co.in
36				Senior Manager	Shri Anand Anal	8960626722	adv@lucsco.iobnet.co.in
37	Oriental Bank of Commerce, Lko.	General Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri Ravindra Yadav	8853099001	rh_lko@obc.co.in
38	Punjab & Sind Bank, Lucknow	Zonal Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri TPS Walia	9839066415	zm.lucknow@psb.co.in
39				Chief Manager	Shri I S Sial	0522-2614260	
40				Manager	Ms Richa Kumar	9453239227	
41	State Bank of B & J, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Asstt. General Manager	Shri R S Chauhan	7408603444	chauhanrs@sbbj.co.in
42				Chief Manager	Shri S K Gautam	9453008265	skgautam@sbbj.co.in
43	State Bank of Mysore, Lucknow	Senior Branch Manager	Yes	Branch Manager	Shri Sanjay Shukla	9889893331	vipulkhand@sbm.co.in; sanjay.shukla@sbm.co.in
44	State Bank of Patiala, Lucknow	Dy. General Manager	yes	Dy. General Manager	Shri P K Roy	9695686699	dgmlko@sbp.co.in
45	State Bank of Travancore, Lucknow	Chief Manager	yes	Chief Manager	Sri Chandra Mohan K. B.	9446500371	lucknow@sbt.co.in
46	UCO Bank, Lucknow	General Manager	No	Dy. General Manager	Shri B B Rattanpaul	8130523222	fgm.lucknow@ucobank.co.in
47	United Bank of India, Lucknow	Chief Regional Manager	No	Chief Manager	Shri R Kumar	8004378378	devcntrl@unitedbank.co.in
48	Vijaya Bank, Lucknow	Gen. Manager	Yes	General Manager	Shri A.K. Das	9935057850	rmrolucknow@vijayabank.co.in
49				Asstt. General Manager	Shri Girish C Dalakoti	9935484433	
50				Manager	Shir Bhawesh Kumar	9415391478	creditplucknow@vijayabank.co.in
51	Allahabad U.P. Gramin Bank	Chairman	No	General Manager	Shri M M Prasad	8052302000	augb_ho@rediffmail.com
52	Gramin Bank of Aryavart	Chairman	Yes	Chairman	Shri J S Ravi Kumar	7388800777	chairman.gba@gba-rrb.com
53				Asstt. Manager	Shri Rahul Tandon	7388899774	chmsec@aryavart-rrb.com
54				Chief Manager	Shri A K Verma	7388899783	
55	Baroda U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri K R Kanojia	8765956232	bupgbrrb@bankofbaroda.com
56	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Bhola Prasad	9415600700	chairmankgsg@kgsbank.co.in

57	Prathma Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri. B. K. Pandit	9837036728	prathmabank@yahoo.com
58	Purvanchal Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Rakesh Gupta	9415210544	psbplanning@gmail.com
59	Serve U.P. Gramin Bank	Chairman	No	General Manager	Shri S K Chaudhari	9760245415	gmskc@upgb.com
60	U.P. Cooperative Bank Ltd.	Managing Director	Yes	Managing Director	Shri. S C Dwivedi	8004400333	scdwivedi57@gmail.com
61				Sr. Manager	Ms. Mitali Savant	9889016931	mitali.savant@axisbank.com
62				Dy. Manager	Shri. Kunal Chugh	8474999905	kunal.chugh@axisbank.com
63	HDFC Bank, Lucknow	Zonal Head	No	Nodal Officer	Shri Anurag Gupta	9336820290	anuraag.gupta@hdfcbank.com
64	ICICI Bank, Lucknow	Regional Head	Yes	Regional Head - Retail	Shri Saif Kazmi	9772346111	saif.kazmi@icicibank.com
65				Regional Relationship Manager	Ms Misha Dua	8953990809	misha.dua@icicibank.com
66	IDBI Bank, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Ms.Deepika Chohan	9838500559	deepika.chohan@idbi.co.in
67				Asstt. General Manager	Shri Gyanendra Chaudhary	9559308787	gk.chaudhary@idbi.co.in
68	Indusind Bank Ltd., Lucknow	Regional Relationship Officer/ State Head	No	Regional Head-Retail	Shri Shashi Karan Singh	9648260333	shashi.singh@indusind.com
69				Chief Manager	Shri Ankit Kumar Aggarwal	7408418868	ankitkumar.aggarwal@indusind.com
70	The Karnataka Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Manager	Shri S K Saurabh	9839222575	lucknow@ktkbank.com
71	Federal Bank, Lucknow	Chief Manager	Yes	Chief Manager	Shri. Joy K.O.	7275488057	lkw@federalbank.co.in
72	J&K Bank, Gurgaon	Asstt. Gen. Manager	No	Executive Officer	Shri Amit Bhushan	9455001708	lucknow@jkbmail.com
73	Nainital Bank Ltd., Nainital	Chairman & CEO	No	Asso. Vice President	Shri S.C. Joshi	8009241100	lucknow@nanitalbank.co.in
74	South Indian Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Sr. Manager	Shri Rakesh Raja	8577866733	br0444@sib.co.in
75	Bhartiya Mahila Bank	Branch Head	Yes	Branch Manager	Shri Uttam Negi	9559704999	br.lucknow@bmb.co.in
76	Agriculture	Principal Secretary, GoUP	Yes	Principal Secretary, GoUP	Shri Debashish Panda, IAS	2238020, 8004910170	psagriculture@gmail.com
77	Rural Development	Principal Secretary, GoUP	No	Special Secretary	Madam Sandeep Kaur, IAS	9456659511	sandeepkaur608@gmail.com
78	Urban Development & SUDA	Secretary, GoUP	No	Finance Controller	Shri Lal Pratap Singh	9838384577	fcsuda@gmail.com
79	MSME	Secretary, GoUP	No	Asstt. Director	Shri J N S Yadav	9452240045	jnyadav54@rediffmail.com
80	Board of Revenue	Commissioner & Secretary, GoUP	No	Joint Secretary	Shir K K Chaudhary	9415083126	
81				OSD	Shri V K Gupta	9415023178	
82	Industries	Commissioner & Director, GoUP	No	Jt. Director	Shri K P Mishra	9415087099	
83				Dy. Commissioner	Shri S Shukla	9415054007	diup123@rediffmail.com
84				COO, UPSRLM	Ms Urvashi Prasad	9559612222	cooupsrlm@gmail.com
85				Jt. Mission Director	Dr. Farid Rizvi	9415169220	mdsrlmup9@gmail.com
86	U.P. Bhumi Sudhar Nigam Ltd.	Managing Director	No		Shri Atul Kumar	9415086118	atulkdcb@yahoo.co.in
87				Executive (Credit)	Shri Anil Singh Chandel	9450095722	credit.upbsn@gmail.com
88	U.P. SC/ST Fin. & Dev. Corp. Ltd.	Managing Director	Yes	Managing Director	Shri Vimal Chandra Srivastava	9415327130	srivastavavimal@yahoo.co.in
90	Agriculture (Statistics)	Director	Yes	Director	Shri Vinod Kumar Singh	9235629305	agristat@gmail.com
91				Asstt. Director	Shri V. P. Gupta	9415059359	kvic.lko2011@gmail.com
92	Khadi & Village Industry Board	Chief Executive Officer	No	Dy. CEO	Shri Hari Ram Singh	9839959915	hariramsingh@gmail.com, ceoupkvib@gmail.com
93	Saghan Mini Dairy Pariyojana	General Manager	No	Manager	Shri B R Sharma	9793132517	trg.pcdf@paragmilkup.in

94	Deptt of Fisheries	Director	No	Joint Director	Shri Sunil Kumar Singh	9450063183	sksinghjd@gmail.com
95	Police Headquarter	Director General	No	Additional S P P/G	Shri D R Saroj	9454401144	dr.dr.sarojz@gmail.com
96	Udyog Bandhu	Executive Director	No	Director (Tax Advisory)	Shri B P Singh	7379460840	bpsingh.ub@gmail.com
97	Ministry of Finance, GoI	Director (CP & MF)	Yes	Director (CP & MF)	Shri Manish Gupta	9650503560	dirac-dfs@nic.in;manish.gupta70@nic.in
98	Oriental Insurance Co. Ltd.	Regional Manager	No	Asstt. Manager	Shri Dinesh Kumar	9198003264	dinesh@orientalinsurance.co.in
99				Dy. Manager	Ms. S Tabassum	9415765695	shabina.tabassum@orientalinsurance.co.in
100	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	Chief Regional Manager	Yes	Chief Regional Manager	Shri Rampal S Rawat	8935030301	ro.lucknow@aicofindia.com
101				Admin. Officer	Shri Sumit Arora	9554530025	ramhanuman2101990@gmail.com
102	**Special Invitee**						
103	Directorate of Census Operations	Asstt. Director	Yes	Asstt. Director	Shri Arun Kumar	9452294610	arun.rgi@nic.in
104	UIDAI	Asstt. Director General	Yes	Jt. Director	Shri Pradeep Kumar	9454832275	pk291261@yahoo.com
105				Asstt. Director General	Shri P K Agarwal	9452239093	pradeep.agarwal@uidai.net.in
106	Animal Husbandry	Secretary, GoUP	No	Jt. Director (Poultry)	Dr. A U Kidwai	9415583792	sksaxena9620@gmail.com
107				Additional Director	Dr. P S Gautam	9919961071	psgautam1955@gmail.com
108				Chief Technical Officer	Dr. V K Singh	9839300136	vk&56@yahoo.com
109	State Planning Commission	Asstt. Planning Officer	Yer	Asstt. Planning Officer	Shri Rakesh Saxena	9454468910	
110	Convener Bank - Bank of Baroda			Sr. Manager (WUP&U Zone)	Shri S K Sinha	8477009258	fi.wupu@bankofbaroda.com
111				Dy. Gen. Manager	Shri R K Awasthi	9919908444	
112				Asstt.Gen. Manager	Shri B R Patel	0522-6677722	
113				Chief. Manager	Shri K. K Mathur	0522-6677721	
114				Manager	Shri R K Agrawal	9415182483	
115				Manager	Shri G M Dayal	0522-6677730	
116				Manager	Ms Silk Smita	0522-6677694	
117				SWO	Ms Anjali Singh	0522-6677726	
118				SWO	Ms. Shikha Tripathi	0522-6677726	